क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति से संबंधित पदाधिकारी एवं सदस्यों का प्रशिक्षण

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति से संबंधित पदाधिकारी एवं सदस्यों का प्रशिक्षण।

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– B8.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः

आवधारणाः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में "ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के गठन की अवधारणा है जो संबंधित पंचायत की देख–रेख में संचालित किये जाएंगे। जिसमें राजस्व ग्राम के सभी टोलों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण स्तर पर जनस्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पर्यावरण रख–रखाव को भी सुनिश्चित करना है।

वित्तीय दिशा–निर्देशन

प्रक्रिया (वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि की उपयोगिता)–

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के सुचारू रूप से संचालन हेतु इससे संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों का प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम से संबंधित ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर किया जायेगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपलब्ध करायी गयी पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका "विकास के डगर पर हमारा गाँव" के द्वारा तथा उपलब्ध कराये गए इससे संबंधित अन्य संसाधनों के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की अध्यक्षता सिविल सर्जन स्वंय करेगें तथा इसका संचालन जिला सामुदायिक उत्प्रेरक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा प्रमंडलीय आशा समन्वयक/क्षेत्रिय कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) अथवा प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं ICDS की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) को भाग लेना है (तीन प्रतिभागी)। इस प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तरीय प्रतिभागी के जलपान एवं स्टेशनरी के लिए Rs 50 प्रतिभागी की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है। यह राशि जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु खर्च किया जायेगा।
- इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2012–13 में पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के सुचारू रूप से संचालन हेतु इससे संबंधित सदस्यों का प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। इस हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षित उपर्युक्त वर्णित ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी (प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) अथवा प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं ICDS की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO)) के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के पाँच सदस्यों (कृप्या उपर्युक्त वर्णित VHSC के संरचना को देखें) का **एकदिवसीय उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण किया जायेगा** जिसमें वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपलब्ध करायी गयी पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण

SKumar

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका "विकास के डगर पर हमारा गाँव" के द्वारा तथा इससे संबंधित अन्य संसाधन से किया जायेगा। इस प्रशिक्षण को Batch wise किया जायेगा। प्रत्येक batch का size पचास लोागें से अधिक का नहीं होना चाहिए यानि एक बार में अधिकतम दस पंचायत के ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार से स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है:–

1- जलपान के लिए प्रति प्रतिभागी @ Rs 100
2- Logistic support @ Rs 30 प्रति प्रतिभागी

इस प्रकार से प्रति प्रतिभागी के लिए @ Rs 130 की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उसके अन्दर आने वाले पंचायत की संख्या गुणा पाँच सदस्य गुणा Rs 130 (पंचायत–VHSC की संख्या X 5 सदस्य प्रति पंचायत–VHSC X Rs 130) की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा व्यय किया जायेगा।

<u>ईकाई राशि:</u>

- @ Rs 50/- प्रति ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी को जिला स्तर के प्रशिक्षण बैठक में भाग लेने के लिए Snacks + Stationary के लिए। (जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा व्यय की जायेगी)
- @ Rs 100/- तक का जलपान प्रति VHSC सदस्य को PHC स्तर पर प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए। (PHC द्वारा व्यय की जायेगी)
- @ Rs 30/- प्रति VHSC सदस्यों के दर से PHC स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान Logistic support के आपूर्ति हेतु । (PHC द्वारा व्यय की जायेगी)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 9087, Dated 03.02.2009 (ख) 9219, Dated 21.02.2009

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– 9470003025

SKumar